संख्या-528/2025/139के-2/22-3-2025-17(287)/25

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विपिन सिंह पुत्र श्री मुन्ना सिंह, निवासी जनपद-जालौन की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3591/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025), दिनांक 28.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विपिन सिंह (बंदी संख्या-28017) पुत्र श्री मुन्ना सिंह, जो मिर्जापुर, थाना-माधौगढ़, जनपद-जालौन का निवासी है। बंदी द्वारा (1) दिनांक 13-09-2009 को दुनाली बंदूक से गोली मारकर 02 लोगों की हत्या करने के अपराध में सत्र परीक्षण सं0-252/2009 में भा0द0वि0 की धारा-307, 302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 17-01-2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा (2) प्रधानी की रंजिश के कारण दिनांक 12-09-2009 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दुनाली बंदूक से एक व्यक्ति की हत्या के अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-283/2009 व 03/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व क्रिमिनल लॉ की धारा-7 तथा आयुध अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 20-08-2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु 36 वर्ष, 09 माह, 19 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के रिहाई उपरान्त समाज पर दुष्प्रभाव पड़ने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई होने पर पीडित पक्ष के अन्दर बदले की भावना जागृत होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा हत्या के 02 जघन्य अपराध किये गये हैं, उक्त अपराधों हेतु बंदी को अलग-अलग 02 आजीवन कारावास की सजा होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विपिन सिंह पुत्र श्री मुन्ना सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विपिन सिंह (बंदी संख्या-28017) पुत्र श्री मुन्ना सिंह, निवासी जनपद-जालौन के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-139(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-528/2025/139के-2/22-3-2025-17(287)/25

दिनांक 25 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विपिन सिंह (बंदी संख्या-28017) पुत्र श्री मुन्ना सिंह, जो मिर्जापुर, थाना-माधौगढ़, जनपद-जालौन का निवासी है। बंदी द्वारा (1) दिनांक 13-09-2009 को दुनाली बंदूक से गोली मारकर 02 लोगों की हत्या करने के अपराध में सत्र परीक्षण सं0-252/2009 में भा0द0वि0 की धारा-307, 302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 17-01-2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा (2) प्रधानी की रंजिश के कारण दिनांक 12-09-2009 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दुनाली बंदूक से एक व्यक्ति की हत्या के अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-283/2009 व 03/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व क्रिमिनल लॉ की धारा-7 तथा आयुध अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 20-08-2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु 36 वर्ष, 09 माह, 19 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के रिहाई उपरान्त समाज पर दुष्प्रभाव पड़ने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई होने पर पीडित पक्ष के अन्दर बदले की भावना जागृत होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा हत्या के 02 जघन्य अपराध किये गये हैं, उक्त अपराधों हेतु बंदी को अलग-अलग 02 आजीवन कारावास की सजा होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विपिन सिंह पुत्र श्री मुन्ना सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in